राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 212/2018

मनोहर सिंह पुत्र स्व. मदन सिंह उम्र 63 साल जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. फतेसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह उम्र 52 साल जाति राजपूत निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. राधेश्याम उम्र 50 साल जाति ब्राहमण निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
3. सत्यनारायण पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद उम्र 72 साल जाति ब्राहमण निवासी बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
4. शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाऊ तहसील खेतड़ी।
5. भूमिधारक तहसीलदार, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने

निर्णय **दिनांक 12 –10–2020**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित जमीन हाल खाता सं. 64 खसरा नंबर 1303 रकबा 0.59 है. के आवेदक एवं अनावेदक सं. 1 संयुक्त खातेदार काश्तकार जमाबंदी संवत् 2073–2076 में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रश्नगत भूमि में आवेदक का हिस्सा 1/2 है जिसमें आवेदक ने अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई के लिए ट्यूब वैल बना रखा है। आवेदक ने अपनी संयुक्त खातेदारी की जमीन खसरा नंबर 1303 में अपनी खेती की भूमि की सिंचाई के लिए चाह बना रखा है तथा उक्त जमीन से होने वाली कृषि पैदावार के भण्डारण हेतु भण्डार गृह, पशु आदि के रख रखाव हेतु पुख्ता निर्माण कर रखा है। आवेदक को इस अपनी खातेदारी की जमीन से पश्चिमी ओर स्थित मुख्य सड़क (चिड़ावा रोड़) तक आवागमन के लिए अनावेदकगण सं. 2 व 3 की खातेदारी की जमीन वाके ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित खेत हाल ख.नं. 1304 रकबा 0.91 है. की 17 मीटर भूमि पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि को छोड़कर मुख्य सड़क (चिड़ावा रोड़) पर आवागमन संभव है। प्रश्नगत रास्ता को नजरी नक्शे में सुर्खियों में लाल स्याही से ए,बी,सी,डी के मध्य दर्शाया गया है। इसी चिन्हित रास्ते को ही आवेदक अपने खेत से उक्त मुख्य सड़क (चिड़ावा रोड़) तक आवागमन के उपयोग–उपभोग में सन् 2005 से लेते आ रहा है। आवेदक को वाहन आदि लाने ले जाने के लिए लगभग 15 फुट चौड़ा व जैसा कि नजरी नक्शे ए से बी 30 फुट लम्बा अनावेदकगण सं. 2 व 3 की उक्त जमीन संख्या 1304 रकबा 0.91 है. के मध्य से होकर ही पहुंचता है। इस प्रकार इस प्रश्नगत रास्ता के अलावा आवेदक को अपनी उक्त खातेदारी की जमीन से आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प में रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदक को अपनी आराजी भूमि को काश्त करने व उसमें अपने पशु आदि के लिए व

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (राज.)

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.14 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

खेती की उपज के रख रखाव, रहवास हेतु पुख्ता निर्माण के लिए सामग्री आदि ले जाने के लिए ट्रेक्टर आदि के लिए वाहन आदि का आना–जाना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थियों में आवेदक इस आवेदन पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक की खातेदारी भूमि वाके ग्राम बड़ाऊ स्थित जमीन हाल खाता सं. 64 खसरा नंबर 1303 रकबा 0.59 है. की जमीन से मुख्य चिड़ावा सड़क तक आवागमन के लिए अनावेदकगण सं. 2 व 3 की खातेदारी की वाके ग्राम बड़ाऊ स्थित जमीन हाल खसरा नंबर 1304 रकबा 0.91 है. के मध्य स्थित से 15 फुट चौड़ा उक्त मुख्य रास्ता तक 30 फुट लम्बाई में जिसे प्रश्नगत रास्ता को नजरी नक्शे में सुर्खियों में लाल स्याही से ए, बी, सी, डी के मध्य दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कायम कर रिकार्ड राजस्व व नक्शे में तरमिम किया जाकर उक्त रकबा के लिए धारा 251(क) के प्रावधानों के अनुसा राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों अनावेदकगण सं. 2 व 3 को दिलवाये जाने की कृपा करें। आवेदक इसी पालना करने को तैयार व तत्पर है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1303 के पूर्व में पक्की सड़क है जो बड़ाऊ से ढाणी भोजाला को जाती है व दक्षिण में खसरा नंबर 2555/1306 आवासीय भूमि में से आवागमन है जिसमें से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 आवागमन करते हैं। प्रार्थी ने यह झूंठा व गलत तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने खसरा नंबर 1304 के समस्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जिसके कारण पक्षकारों के अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है जो खारिज होने योग्य है।

उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि बाबत मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बड़ाऊ स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1303 रकबा 0.59 है. खातेदार फतेहसिंह पुत्र मूलसिंह हिस्सा 1/2, मनोहरसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 1/2 संयुक्त खातेदार भूमि दर्ज रिकार्ड है। मौके पर दोनों खातेदार भूमि का बंटवारा कर रखा है। खसरा नंबर 1303 के पूर्व दिशा में पक्की सड़क है जो बड़ाऊ से ढाणी भोजाला को जाती है। खसरा नंबर 1303 के दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 2555/1306 रकबा 0.25 है. किस्म आवासीय भूमि है। खसरा नंबर 2555/1306 में से संयुक्त खातेदार फतेहसिंह पुत्र मूलसिंह व मनोहरसिंह पुत्र मदनसिंह आवागमन करता है। खसरा नंबर 1304 जो बड़ाऊ से चिड़ावा सड़क पर स्थित है। वर्तमान में कोई आवागमन नहीं है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने हेतु प्रस्तुत किया है, उक्त आवेदन पत्र में प्रार्थी ने विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बड़ाऊ तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नं. 1303 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1304 रकबा 0.91 है. के मध्य स्थित से 15 फुट चौड़ा मुख्य रास्ता तक 30 फुट लम्बाई में जिसे नजरी नक्शे में सुर्खियों में लाल स्याही से ए, बी, सी, डी के मध्य दर्शाया गया है, का अनुतोष चाहा है। इस सम्बंध में तहसीलदार, खेतड़ी एवं पटवारी हल्का बड़ाऊ ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी भूमि खसरा नंबर 1303 में आने–जाने के लिए भूमि खसरा नंबर 2525/1306, 2526/1306 से होकर आवागमन करता है। खसरा नंबर 1304 जो बड़ाऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.14 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

से चिड़ावा सड़क पर स्थित है से प्रार्थी का वर्तमान में कोई आवागमन नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष खण्ड सं. 15 (क) द्वारा चाहे गये रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 1303 में पहुंचने हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव साबित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12–10–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12/10/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.14 12:52:49 IST
Reason: SelfAttested